न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– मनमोहन मीणा, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 05/2024 राजस्व वाद

1. रॉयल माईनिंग डी–21 गणपति स्कवायर जयपुर रोड़, एन.एच 8 इण्ड एरिया किशनगढ़ अजमेर जरिये पार्टनर श्री जगदीश पुत्र श्री घीसा लाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. रॉयल माईनिग डी–21 गणपति स्कवायर जयपुर रोड़, एन.एच 8 इण्ड. एरिया किशनगढ़ अजमेर जरिये पार्टनर श्री पौरूष लडिया पुत्र श्री पवन कुमार लडिया जाति अग्रवाल (लढिया) आयु वयस्क निवासी– टी 1/501 किशनगढ़ प्राइड किशनगढ़ जिला अजमेर (राज0)

––– वादीगण

बनाम

1. कान सिंह पुत्र श्री धूकल सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गेंद कंवर पत्नी श्री किशन सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
4. ग्राम सेवा सहकारी समिति गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) जरिये व्यवस्थापक

––– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार जैन, –अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. एकपक्षीय– प्रतिवादीगण
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक– 28.02.2024

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद गरवाय पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 18 अठारह मे आराजी नम्बर 597 पांच सौ सत्यानवे रकबा 6.5508 हैक्टयर भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या 01 से 02 उपस्थित नही [illegible] एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण अधिवक्ता की एक तरफा [illegible] मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा [illegible] वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र की डिक्री करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.05 17:35:54 IST
Reason: SelfAttested

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आदेश

सरहद गरवाय पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 18 अठारह मे आराजी नम्बर 597 पांच सौ सत्यानवे रकबा 6.5508 हैक्टयर मे वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

(1) खातेदार का नाम– रॉयल माईनिंग डी–21 गणपति स्कवायर जयपुर रोड़, एन.एच 8 इण्ड एरिया किशनगढ़ अजमेर जरिये पार्टनर (1) श्री जगदीश पुत्र श्री घीसा लाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) (2) श्री पौरूष लडिया पुत्र श्री पवन कुमार लडिया जाति अग्रवाल (लढिया) आयु वयस्क निवासी– टी 1/501 किशनगढ़ प्राइड किशनगढ़ जिला अजमेर (राज0) के नाम पर–

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	597/1	2.1836 हैक्टयर
योग	कुल किता 01	2.1836 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम– कानसिंह पुत्र श्री धूकल सिंह जाति राजपूत सा. दे. रहन जी.एस.एस. गोरधनपुरा के नाम पर

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	597/2	2.1836 हेक्टयर
योग	कुल किता 01	2.1836 हैक्टयर

(3) खातेदार का नाम– गेन्द कंवर पत्नी किशन सिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन जी. एस.एस. गोरधनपुरा के नाम पर

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	597/3	2.1836 हेक्टयर
योग	कुल किता 01	2.1836 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री जारी हो, उक्तानुसार डिक्री जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.05 17:35:54 IST
Reason: SelfAttested